2022/342

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री नटवरसिंह पुत्र श्री मानसिंह जी बीका निवासी गुलाबगंज तहसील रेवदर जिला सिरोही। | | सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर |

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 62 वर्ष 2022

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15.09.2022 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलाट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 25.05.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अनादरा में स्थित ट्रस्ट जो कि सुमति जीवदया केन्द्र वगैरा पावापुरी ट्रस्ट, के.पी.संघवी वगैरा ट्रस्ट, सुन्दरबैन पत्नि श्री भेरमलजी संघवी वगैरा ट्रस्ट, अर्जुनसिंह वगैरा बम्बा फॉर्म, अनिल पुत्र श्री छोगालाल जी बाकोलिया वगैरा भूपेन्द्र पुत्र श्री छोगालाल बाकोलिया वगैरा, सरदारसिह पुत्र श्री कुशालसिंह वगैरा, महादेव नगर वगैरा एवं मंछाराम पुरोहित वगैरा, उक्त सभी ट्रस्टो के खाताधारको की ब्योरा सहित खातों की जमाबन्दी नकल प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलाट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलाट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनाक 25.05.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अनादरा में स्थित ट्रस्ट जो कि सुमति जीवदया केन्द्र वगैरा पावापुरी ट्रस्ट, के.पी.संघवी वगैरा ट्रस्ट, सुन्दरबैन पत्नि श्री भेरमलजी संघवी वगैरा ट्रस्ट, अर्जुनसिह वगैरा बम्बा फॉर्म, अनिल पुत्र श्री छोगालाल जी बाकोलिया वगैरा, भूपेन्द्र पुत्र श्री छोगालाल बाकोलिया वगैरा, सरदारसिह पुत्र श्री कुशालसिह वगैरा, महादेव नगर वगैरा एवं मंछाराम पुरोहित वगैरा, उक्त सभी ट्रस्टों के खाताधारकों की ब्योरा सहित खातों की जमाबन्दी नकल प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अत अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबर से कम हो ।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Bhanwar Lal<br>Date: 2023.03.01 18:30:31 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(डॉ. भंवर लाल)<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |

Scanned with CamScanner